



13 वुड स्ट्रीट
कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
13 Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax: 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone: 033-22872156
ई-मेल/e-Mail : wbs.gdc.soi@gov.in



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
पश्चिम बंगाल एवम् सिक्किम
भू-स्थानिक निदेशालय
WEST BENGAL & SIKKIM
GEO-SPATIAL DIRECTORATE
कोलकाता Kolkata

इस पत्र का उत्तर पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय के आधिकारिक ई-मेल पर ही प्रेषित करने एवं उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करें।
Reply to this letter should be sent only on the official e-mail of WB & Sikkim GD and while replying, mention the number and date of this letter.

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडी, कोलकाता के नेमी आदेश सं. 07 / 37-G-11

दिनांक. 03.09.2025

West Bengal and Sikkim GD, Kolkata Routine Order No. 07 /37-G-11

DATED 03.09.2025

1. एम. ए. सी. पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन / Implementation of Financial Up-gradation under MACP Scheme

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19.5.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था० (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस०एम० /02/02/2021 दिनांक 25-08-2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) अधिकारी / सेवा निवृत्त अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि Date from which MACP granted	वेतन स्तर स्वीकृत Pay Level Granted	प्राधिकार Authority
1.	श्री सुभास चन्द्र सांतरा, मानचित्रकार डिव-1 Shri Subhas Chandra Santra, D/Man Div-I	01.01.2024 2 nd MACP	Level- 7	महासर्वेक्षक के पत्र संख्या. सी. पी.-1990/1902 (एम.ए.सी.पी) (जनरल) दिनांक 20.08.2025
2.	श्री बिस्वजीत सोम, भंडार सहायक (सेवा निवृत्त) Shri Biswajit Som, Store Assistant	01.01.2022 3 rd MACP	Level- 6	महासर्वेक्षक के पत्र संख्या. सी. पी.-1987/1902-(एम.ए.सी.पी) (जनरल) दिनांक

(Retired)			20.08.2025
-----------	--	--	------------

ii) संबंधित व्यक्ति को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर वेतनमान में FR 22(I) (a) (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए एक विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है और वेतन का निर्धारण कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प के अनुसार किया जाएगा।

/The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii) उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे। /

If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

2. एम. ए. सी. पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन / Implementation of Financial Up-gradation under MACP Scheme

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19.5.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था० (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस०एम० /02/02/2021 दिनांक 25-08-2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'सी' कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि Date from which MACP granted	वेतन स्तर स्वीकृत Pay Level Granted	प्राधिकार Authority
1.	श्री रबिन्द्रनाथ पाणिग्राही , स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-I Shri Rabindranath Panigrahi, Staff Car Driver Gde-I	23.09.2025 3rd MACP	Level- 6	महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी. पी.-2044/1902 (एम.ए.सी.पी) (एस. सी. डी.) दिनांक 22.08.2025.

ii) संबंधित व्यक्ति को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर वेतनमान में FR 22(I) (a) (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए एक विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है और वेतन का निर्धारण कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प के अनुसार किया जाएगा।

/The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii) उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे।/If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

3. एम. ए. सी. पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन / Implementation of Financial Up-gradation under MACP Scheme

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19.5.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था० (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस०एम० /02/02/2021 दिनांक 25-08-2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'सी' (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि Date from which MACP granted	वेतन स्तर स्वीकृत Pay Level Granted	प्राधिकार Authority
1.	श्रीमती फुलाकी देवी, एम् टी एस. Smt. Fulaki Devi, MTS	04.04.2025 2nd MACP	Level- 3	महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी. पी. - 2003/1902 (एम.ए.सी.पी) (जनरल) दिनांक 20.08.2025
2	श्री प्रेम कुमार, एम् टी एस. Shri Prem Kumar, MTS	18.05.2025 3rd MACP	Level- 4	

ii) संबंधित व्यक्ति को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर वेतनमान में FR 22(I) (a) (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए एक विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है और वेतन का निर्धारण कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प के अनुसार किया जाएगा।/The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii) उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे।/ If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

4. कार्यालय में स्थानांतरण / TRANSFER IN

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुआ Office from which transferred in	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer	Authority : प्राधिकार :
1.	नजीबुल हक, प्रवर श्रेणी लिपिक Najibul Haque, Upper Division Clerk	Meghalay & Arunachal Pradesh GD, Shillong	01.09.2025 (F/N) (पूर्वान्ह)	स्था.2.- 287 /1979- (संग्रह 55) पार्ट दिनांक 04.08.2025

5. इस कार्यालय से स्थानांतरण / TRANSFER OUT

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय में स्थानान्तरित हुआ Office where transferred out	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer	Authority : प्राधिकार :
1	श्री तारापद मंडल, मानचित्रकार डिव-I Shri Tarapada Mandal, D/Man Div-I	G & R B, Dehradun	25.08.2025 (A/N)	सी.पी.-1931/1800(1) (Chief D/Man)(9217) दिनांक 11.08. 2025
2	श्री प्रदीप मंडल, प्रवर श्रेणी लिपिक Shri Pradip Mondal, Upper Division Clerk	A &N And TMMZ GD, Guwahati	25.08.2025 (A/N)	स्था.2-288/1979-(संग्रह 55) पार्ट दिनांक 04.08.2025

यह निदेशक, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय, कोलकाता का अनुमोदन से जारी किया गया है। This is issued with the approval of the Director, West Bengal & Sikkim Geo - Spatial Directorate, Kolkata.

(स्वर्णिमा बाजपेयी)

अधीक्षण सर्वेक्षक

कृते निदेशक, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. सभी अनुभाग अधिकारी / विंग प्रभारी, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय, कोलकाता को सूचना हेतु प्रेषित ।
5. फाईल - सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजी
6. नोटिस बोर्ड।